

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा-तच्छाली-स्यालिंगा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8675 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- तच्छाली ग्राम - गिठाला
तहसील कोटद्वार जिला-पौड़ी गढ़वाल।

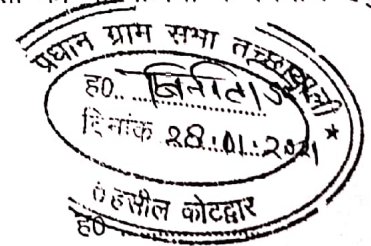
अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड के जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा सं०-1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा-तच्छाली-स्यालिंगा मोटर मार्ग के कि०मी० 0.000 से 5.000 तक मार्ग निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 1.080 है० आरक्षित वन भूमि, शून्य सिविल सोयम भूमि, 0.7875 है० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.8675 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत-तच्छाली द्वारा दिनांक 28/01/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासी द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तच्छाली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



ग्राम प्रधान

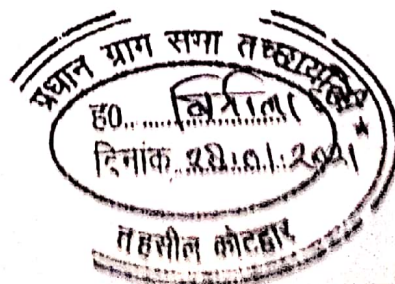
नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक २६/०१/२०२१ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत :-तच्छाली (ग्राम गिठाला)

क्र०सं०	ग्राम सभा के उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
②	जयमल सिंह	जयमल सिंह
③	हरि सिंह	हरि सिंह
④	जगमोहन सिंह	जगमोहन सिंह
⑤	जयसिंह	जयसिंह
⑥	लूजमोहन सिंह	लूजमोहन सिंह
⑦	भगत सिंह	भगत सिंह
⑧	मेहरवान सिंह	मेहरवान सिंह
⑨	प्रेम सिंह	प्रेम सिंह
⑩	डबल सिंह	डबल सिंह
⑪	जगदीश सिंह	जगदीश सिंह
⑫	मीना देवी	मीना देवी
⑬	सुष्मा देवी	सुष्मा देवी
⑭	महिपाल सिंह	महिपाल सिंह
⑮	महावीर सिंह	महावीर सिंह
⑯	वासु सिंह	वासु सिंह
⑰	मनोज रावत	मनोज रावत
⑱	कमल सिंह रावत	कमल सिंह रावत



परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा-तच्छाली-स्यालिंगा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8675 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- तच्छाली - स्यालिंगा
तहसील कोटद्वार जिला-पौड़ी गढ़वाल।

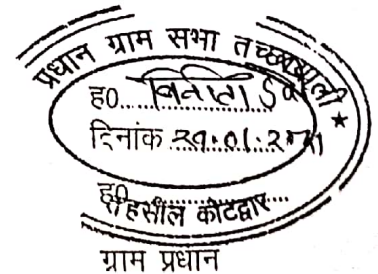
अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड के जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा सं०-1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा-तच्छाली-स्यालिंगा मोटर मार्ग के कि०मी० 0.000 से 5.000 तक मार्ग निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 1.080 है० आरक्षित वन भूमि, शून्य सिविल सोयम भूमि, 0.7875 है० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.8675 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड्डाविभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत-तच्छाली द्वारा दिनांक 29/01/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासी द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तच्छाली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

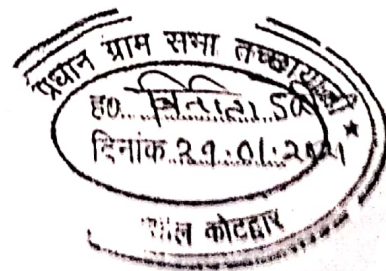
उक्त प्रपत्र उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र 23-1

दिनांक २९/०१/२०२१ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत :-तच्छाली (ग्राम स्यालिंगा)

क्र०सं०	ग्राम सभा के उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	शंकर सिंह	शंकर सिंह
2-	खोबरा सिंह	खोबरा सिंह
3-	कुंवर सिंह	कुंवर सिंह
4-	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
5-	मंगल सिंह	मंगल सिंह
6-	दरभ सिंह	दरभ सिंह
7-	जयपाल सिंह	जयपाल सिंह
8-	अगीराम	अगीराम
9-	लक्ष्मण सिंह	लक्ष्मण सिंह
10-	राजवर्मा सिंह	राजवर्मा सिंह
11-	प्रमोद सिंह	प्रमोद सिंह
12-	विष्णु सिंह	विष्णु सिंह
13-	नीरज	नीरज
14-	अनुप सिंह	अनुप सिंह
15-	जयवन्त सिंह	जयवन्त सिंह
16-	सतेन्द्र सिंह	सतेन्द्र सिंह
17-	आनन्द सिंह	आनन्द सिंह
18-	नवीन सिंह	नवीन सिंह
19-	सुभापाल सिंह	सुभापाल सिंह
20-	बृहत् सिंह	बृहत् सिंह
21-	मोहित सिंह	मोहित सिंह
22-	सनीज सिंह	सनीज सिंह
23-	संदीप सिंह	संदीप सिंह
24-	जीतेन्द्र सिंह	जीतेन्द्र सिंह



परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा-तच्छाली-स्यालिंगा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8675 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- तच्छाली
तहसील कोटद्वार जिला-पौड़ी गढ़वाल।

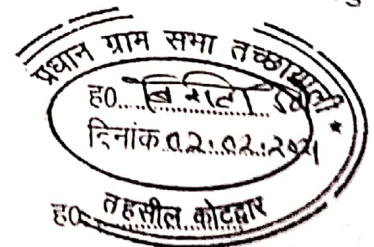
अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड के जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा सं०-1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा-तच्छाली-स्यालिंगा मोटर मार्ग के कि०मी० 0.000 से 5.000 तक मार्ग निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 1.080 है० आरक्षित वन भूमि, शून्य सिविल सोयम भूमि, 0.7875 है० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.8675 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत-तच्छाली द्वारा दिनांक 02/02/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासी द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तच्छाली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



ग्राम प्रधान

नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

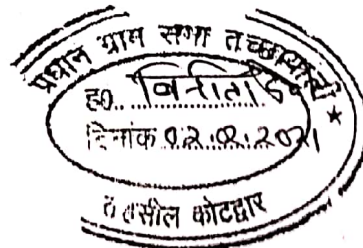
उक्त प्रपत्र उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र 23-1

दिनांक 02/02/2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत :-तच्छाली (ग्राम तच्छाली)

क्र०सं०	ग्राम सभा के उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	गोपाल दल वेवनी	गोपाल दल
②	रमेश चन्द वेवनी	रमेश चन्द
③	नीमा देवी	नीमा देवी
④	जयकिशन जयगोता	जयकिशन जयगोता
⑤	वेद प्रकाश वेवनी	वेद प्रकाश
⑥	श्रीराम वेवनी	श्रीराम
⑦	विजय प्रसाद वेवनी	विजय प्रसाद
⑧	अरविश चन्द वेवनी	अरविश चन्द
⑨	जोगेश्वर प्रसाद वेवनी	जोगेश्वर प्रसाद
⑩	बृजेश कुमार वेवनी	बृजेश कुमार
⑪	मंगल प्रसाद वेवनी	मंगल प्रसाद



प्रपत्र 23-2

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा-तच्छाली-स्यालिंगा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8675 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

कार्यालय उपजिलाधिकारी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड. कोटद्वारपरिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा सं०-1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा-तच्छाली-स्यालिंगा मोटर मार्ग के कि०मी० 0.000 से 5.000 तक मार्ग निर्माण कार्य (1.080 है० आरक्षित वन भूमि, शून्य है० सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.7875 है० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.8675 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड्डाप्रयोक्त एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति (तहसील कोटद्वार) की दिनांक 07/08/2021 को सम्पन्न बैठक के कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री गोरेग सिंह उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में माननीय सदस्यों के उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री गोरेग सिंह उपजिलाधिकारी कोटद्वार अध्यक्ष।
- 2- श्री गोरेग सिंह उपप्रभागीय वनाधिकारी कोटद्वार सदस्य।
- 3- श्री गोरेग सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी कोटद्वार सदस्य/सचिव।
- 4- श्री गोरेग सिंह बी०डी०सी०क्षेत्र / गोरेग सिंह सदस्य।

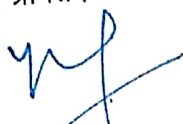
उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा सं०-1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा-तच्छाली-स्यालिंगा मोटर मार्ग के कि०मी० 0.000 से 5.000 तक मार्ग निर्माण कार्य परियोजना हेतु 1.8675 है० आरक्षित ए सिविल सोयम एवं वन पंचायत भूमि लोक निर्माण विभाग, दुगड्डाप्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्यन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपभोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उपप्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों व मान्यता) अधिनियम 2006 एवं वन सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान का स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्य को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन प्रत्र प्रस्तुत न किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

वर्तमान में उपखण्ड कोटद्वारपरिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा सं०-1196/2016 : अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा-तच्छाली-स्यालिंगा मोटर मार्ग के कि०मी 0.000 से 5.000 तक मार्ग निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 1.8675 है० वन भूमि लैन्सडौन वन प्रभा कोटद्वार से प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर आवंटित किये जाने पर सहमा व्यक्त की गई।


उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति
तहसील-कोटद्वार।
जनपद-पौड़ी।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति
तहसील-कोटद्वार।
जनपद-पौड़ी।

दिनांक 17/8/2021 को जिलाधिकारी पौड़ी की अध्यक्षता में आयोजित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति रही :-

1- सर्व श्री	जिलाधिकारी, पौड़ी	अध्यक्ष।
2- श्री <u>विनोद सिंह</u>	प्रभागीय वनाधिकारी, कोटद्वार	सदस्य।
3- श्री <u>विनोद कुमार अधिकारी</u>	लैन्सडॉन वन प्रभाग, पौड़ी	सदस्य।
4- <u>भरत सिंह नेगी</u>	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य।

बताया गया कि ब्लॉक में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण होना प्रस्तावित है, जिनके प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं। उक्त मार्गों हेतु उप स्तरीय समिति द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी कार्यवाही करते हुए निर्धारित प्रपत्र निर्गत किये गये हैं। मार्गों का विवरण निम्नवत् है :-

1-माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0-1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा-तच्छाली-स्यालिंगा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8675 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन :- इस मोटर मार्ग का निर्माण कोटद्वार-रामणी-बल्ली मोटर मार्ग के कि0मी0 से प्रारम्भ होता है। ग्राम स्यालिंगा की सीमा में समाप्त होता है। मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 5.00 कि0मी0 है। इस मोटर मार्ग के ग्राम तच्छाली की 1.2 कि0मी0 लम्बाई में आरक्षित भूमि, 0.875 कि0मी0 में वन पंचायत भूमि, लैन्सडॉन वन प्रभाग कोटद्वार की प्रभावित हो रही है। मोटर मार्ग निर्माण में प्रस्तावित भूमि पर कोई आदिवासी जनजाति एवं परम्परागत वनवासी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में खण्ड स्तरीय समिति द्वारा अपनी संस्तुति दी गई है। इस मार्ग के निर्माण से आस-पास के सभी ग्रामों की जनता लाभान्वित होगी। इन गांवों को जोड़ने हेतु कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग नहीं है और न ही प्रस्तावित है।


जिलाधिकारी
गढ़वाल।

निर्णय

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उप खण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा-तच्छाली-स्यालिंगा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित आरक्षित एवं वन पंचायत भूमि 1.8675 हे० लो०नि०वि० को उप खण्ड स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर जनहित में समक्ष प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है। सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।


() आई०ए०एस०
जिलाधिकारी
पौड़ी गढ़वाल

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, दुगड्डा।

पत्रांक...../ सी०

दिनांक.....

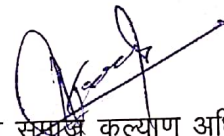
प्रतिलिपि :- 1-जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।
2-प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
दुगड्डा-गढ़वाल। 11/8/21

It is further certified that-Minutes of Meeting of Construction of Pulinda-Tachhali-Syalinga motor road in block Dugadda constituency Yamkeshwar (Under CM Ghoshna 1196/2016) in Distt-Pauri-Garhwal(Length 5.00 Km) Regarding FRA is as following.

SL NO		REMARK
(a)	The complete process for indentification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 1.8675Hect. Of Forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultation and meeting of the forest Right Committee (s) Sub Division Level Committee(s) are enclosed as annexure 30.2	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Gram Sabhas have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers. No objection certificate concerned villages, Tachhali, Syalinga regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c)	The Proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre agriculture Communities.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.


भरत सिंह नेगी
 जिला पंचायत सदस्य
16-पटुअकरा जिला पंचायत
 पौड़ी गढ़वाल
 जिला पंचायत सदस्य


 जिला समाज कल्याण अधिकारी
 पौड़ी


 प्रमाणित व वकील की
 लैंग्वेज नैच व नम्र भाग
 कोटद्वार (गढ़वाल) कोटद्वार


जिलाधिकारी
गढ़वाल।
 जिलाधिकारी
 पौड़ी।

प्रारूप 30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT GARHWAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes and other Traditional Forest Dwellers (recognition of right) act (FRA) 2006.

A meeting of the district level committee of Pauri District, Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of V. K. JOGAPADE.....I.A.S. deputy commissioner, Pauri on dated 17/8/21-----at Pauri in which application claiming rights in Reserve Forest and Civil Soyam Forest area measuring **1.8675Hect** for the Construction of Pulinda-Tachhali-Syalinga motor road in block Dugadda constituency Yamkeshwar (Under CM Ghoshna 1196/2016) in Distt-Pauri-Garhwal(Length 5.00 Km) forest land under FRA. 2006 of the following applicant dully processed and recommended by the sub division level committee -----sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no Objection/ claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

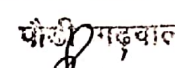
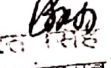
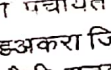
Place...Pauri

Dated...17/8/21.....


17/8/21
जिलाधिकारी
(गढ़वाल)
Deputy Commissioner- cum-Chairman
District Level committee.

दिनांक. 17/8/2021 को जिलाधिकारी पौड़ी की अध्यक्षता में आयोजित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति रही :-

- | | | | | |
|----|--------------------|---------------------------------|---|----------|
| 1- | सर्व श्री | जिलाधिकारी, पौड़ी |  | अध्यक्ष। |
| 2- | श्री दीपक सिंह | प्रभागीय वनाधिकारी |  | सदस्य। |
| 3- | श्री विनोद कुमार | जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी |  | सदस्य। |
| 4- | श्री भरत सिंह नेगी | जिला पंचायत सदस्य |  | सदस्य। |
- 15-पटुडाकरा जिला पंचायत
पौड़ी गढ़वाल

बताया गया कि ब्लॉक में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण होना प्रस्तावित है, जिनके प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं। उक्त मार्गों हेतु उप स्तरीय समिति द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी कार्यवाही करते हुए निर्धारित प्रपत्र निर्गत किये गये हैं। मार्गों का विवरण निम्नवत् है :-

- 1-माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0-1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा-तच्छाली-स्यालिंगा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8675 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन :- इस मोटर मार्ग का निर्माण कोटद्वार-रामणी-बल्ली मोटर मार्ग के कि0मी0 से प्रारम्भ होता है। ग्राम स्यालिंगा की सीमा में समाप्त होता है। मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 5.00 कि0मी0 है। इस मोटर मार्ग के ग्राम तच्छाली की 1.2 कि0मी0 लम्बाई में आरक्षित भूमि, 0.875 कि0मी0 में वन पंचायत भूमि, लैन्सडौन वन प्रभाग कोटद्वार की प्रभावित हो रही है। मोटर मार्ग निर्माण में प्रस्तावित भूमि पर कोई आदिवासी जनजाति एवं परम्परागत वनवासी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में खण्ड स्तरीय समिति द्वारा अपनी संस्तुति दी गई है। इस मार्ग के निर्माण से आस-पास के सभी ग्रामों की जनता लाभान्वित होगी। इन गांवों को जोड़ने हेतु कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग नहीं है और न ही प्रस्तावित है।


जिलाधिकारी
गढ़वाल।

निर्णय

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उप खण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा-तच्छाली-स्यालिंगा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित आरक्षित एवं वन पंचायत भूमि 1.8675 हे० लो०नि०वि० को उप खण्ड स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर जनहित में समक्ष प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है। सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(
17/8/24
जिलाधिकारी
पौड़ी
आई०ए०एस०

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, दुगड्डा।

पत्रांक...../ सी०

दिनांक.....

प्रतिलिपि :- 1-जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।
2-प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।

(
17/8/24
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
दुगड्डा-गढ़वाल।

FORM-II
(for linear projects)
Government of Uttarakhand)
Office of the District Collector, Garhwal.

No-----

Dated 17/8/21

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India's letter No-11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRS for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2003 wherein MoEF issued proposed to be diverted in favour of public work Department (Name of User Agency) for Construction Division, PWD Dugadda (Purposed for diversion of forest land) in Pauri District falls within jurisdiction of Construction of Pulinda-Tachhali-Syalinga motor road in block Dugadda, constituency Yamkeshwar (Under CM Ghoshna 1196/2016) in Distt-Pauri-Garhwal villagers (s) in Kotdwar tehsil.

It is further certified that :

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.8675 hectares of **Reserve Forest and Van Panchayat Land** proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee of the forest Rights committee(s) Gram sabha(s) Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexureannexure
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama sabha have given their consent to it,
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s) has certified that all formalities/Processes under the FRA have proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl. As above.

Signature
17/8/21
जिलाधिकारी
District Collector, Pauri
गढ़वाल

प्रपत्र - 23.4

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं० -1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड़डा ब्लाक के पुलिण्डा -तच्छाली - स्यालिंगा मोटर मार्ग का नव निर्माण।(5.00कि०मी०)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित पुलिण्डा -तच्छाली - स्यालिंगा मोटर मार्ग 5.00कि०मी०के नव निर्माण हेतु 1.8675 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दि० 05.02.2013 के द्वारा रेखाकार (Linear) प्रयोजनो यथा सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल व पाईप लाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानो से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजातीय समूह (Primeivtive Tribal Group) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculture Tribal Group) प्रभावित नहीं हो रहे है।


13/8/24
जिलाधिकारी
गढ़वाल।

ह०/-
जिलाधिकारी